का उपभोग करने वाले व्यक्तियों के विदा होने की सुविधा प्रदान करना, राजनयिक भवनों, अभिलेखालयों और प्रेषक राज्य के हितों की रक्षा करना जबकि युद्ध अथवा सशस्त्र झगड़े के परिणामस्वरूप दो राज्यों के बीच राजनयिक संबंध टूट गये हों, अथवा जब कोई मिशन स्थायी अथवा अस्थायी तौर पर वापस बुला लिया गया हो। अनुच्छेद 47 में यह व्यवस्था है कि अभिसमय को लागू करते वक्त, प्राप्तकर्त्ता राज्य, राज्यों के बीच भेदभाव नहीं बरतेगा। अभिसमय के चौथे भाग में जो अनुच्छेद 48 से 53 तक हैं उनमें हस्ताक्षर, विलयन, सत्यांकन, अभिसमय के लागू होने पर प्रवेश आदि का जिक्र है।

अभिसमय में मोटे तौर पर राजनयिक संबंधों के बारे मे प्रचलित व्यवहार का आभास मिलता है और वह कार्यात्मक (फंक्शनल) आवश्यकता के सिद्धान्त पर आधारित है। कार्यात्मक अवश्यकता के सिद्धान्त के अनुसार विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां इसलिये दी जाती हैं कि राजनयिक मिशनों का कार्य सुचारू रूप से होता रहे, इस दृष्टि से नहीं कि किन्ही व्यक्तियों को लाभ पहुंचे। कार्यात्मक सिद्धान्त समूचे अभिसमय पर छाया हुआ है और वह अंतर्राष्ट्रिय विधि एवं संबंधों की वर्तमान प्रवृतियों के अनुरूप है।

(ग) भारत के अलावा जिन 48 राज्यों ने अभिसमय का सत्यांकन किया है अथवा उसे स्वीकार किया है, वे ये है :—

अल्जीरिया, अर्जेन्टीना, बार्जल बायलोरशा कम्बोडिया, कांगो (ब्राजाविल), कोस्टरिका, क्यूबा चैकोस्लोवाकिया कांगो लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डोमिनिकन गणराज्य, इक्वाडोर, जर्मन संघीय गणराज्य, गैबोन, घना, ग्वाटेमाला, हाली सी, हंगरी, ईरान, ईराक, आईवरी कोस्ट, जमैका, जापान, कीनिया, लाओस, लाइबरिया लीश्टरटीट, मदगास्कर, मलावी मारिटानिया, मैक्सिको, नेपाल, नाइजर, पाकिस्तान, पानामा, पोलैंड, रूआंडा, सान, मारिनी, सियरा लियोन, स्विटजरलैंड तंगानिका. उगांडा, उक्रेन, सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ, संयुक्त अरब गणराज्य, यूनाइटेड किंगडम, वैनेजूला, और यूगोस्लाविया।

**जवानों की विधवाओं के लिए नौकरी**

1046. श्री ओंकार लाल बैरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री बृजराज सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत हाल में भारत-पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए जवानों की विधवाओं तथा अन्य आश्रितों को अपना निर्वाह करने के लिये तत्काल नौकरी की व्यवस्था की जाएगी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अब तक शहीदों की कितनी विधवाओं तथा आश्रितों को नौकरी दिलवाई जा चुकी है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) तथा (ख). सरकार ने पहले से ही आदेश जारी कर दिए है कि शत्रु की कार्यवाही के कारण मारे गए, सशस्त्र सेनाओं के किसी सदस्य की पत्नी-पुत्र-पुत्री किसी रक्षा सम्बन्धी सिव्वन्दी, रक्षा कारखानों इत्यादि में खाली असैनिक स्थानों पर नियुक्ति के लिए विचार की जाएंगी, इसके लिए काम दिलाऊ कार्यालय को लिखा-पढ़ी की साधारण प्रक्रिया की छूट दी जाएगी, और इस उद्देश्य के लिए ऐसे सेविवर्ग के लिए रक्षा कारखानों मे 400 से 500 तक रिक्त स्थान अलग छोड़

दिए गए हैं । जहां तक असैनिक विभागों में स्थानों का सम्बन्ध है, उन द्वारा ऐसे आदेश जारी किये जाने के लिए एक सुझाव विचाराधीन है ।

(ग) ऐसे, काम पर लगाई गई विधवाओं और आश्रितों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना सहज प्राप्य नहीं है, और सम्बन्धित संगठनों से इकट्ठी की जा रही है ।

**सेना कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं**

1047. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
**श्री बृजराज सिंह :**
**श्री गोकरन प्रसाद :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) राजधानी में कितनी और कहां कहां वे बस्तियां हैं जहां प्रतिरक्षा सेवाओं के कर्मचारी रहते हैं ;

(ख) क्या इन सभी बस्तियों में सरकार ने उनके इलाज के लिए एम० आई० रूम खोले हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण)** : (क) दिल्ली छावनी के अतिरिक्त अफसरों समेत सेना सेविवर्ग मुख्यतः धौला कुआं, रामकृष्णपुरम्, मोती बाग की कई दक्षिणी दिल्ली की कालोनियों में किराये के मकानों में सचिवालय और नेशनल स्टेडियम के बीच होस्टलों में, खैबर पास होस्टल, विनय नगर, फक्टरी मार्ग, सेवा नगर और नेशनल स्टेडियम में रहते है । कुछ अफसर अन्य क्षेत्रों में भी रहते है जैसे कि लोदी रोड, अकबर रोड, तीन मूर्ति मार्ग इत्यादि ।

(ख) तथा (ग). नई दिल्ली में निम्न स्थानों पर एम० आई० रूम काम कर रहे हैं :—

(1) नेशनल स्टेडियम
(2) रामकृष्णपुरम्
(3) सिगनल एन्क्लेव
(4) आरामगाह, दिल्ली जंकशन
(5) खैबर पास होस्टल
(6) डलहौजी रोड—केन्द्रीय सशस्त्र सेनाओं का एम० आई रूम ।
(7) सेंट्रल विस्टा मेस ।

वह केन्द्रीय स्थानों में स्थित हैं । अतिरिक्त एम० आई० रूम खोलने के प्रश्न पर समय समय पर गणों के आधार पर विचार किया जाता है ।

**राष्ट्र-ध्वज**

1048. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के चौरास्तों पर कुछ बोर्ड लगाये गये हैं जिनमें 'झंडा ऊंचा रहे हमारा' शीर्षक से राष्ट्र-ध्वज प्रदर्शित किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसमें दिखाया गया है कि तीन हाथ ध्वज के डंडे को पकड़े हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो ध्वज के डंडे को तीन हाथों द्वारा पकड़े हुए किन कारणों से दिखाया गया है जब कि समस्त देश एक होकर शत्रु से लड़ा है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) ये तीन हाथ इस बात के प्रतीक हैं कि आक्रमणकारी के विरुद्ध सारा देश एक